

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107ब ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2010—माघ 7, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ.ए-3-69-2007-1-पांच-(36).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में, भाग-तीन में, अनुक्रमांक 4 के सामने कॉलम (3) में, अंक "23" के स्थान पर, अंक "12.5" स्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. ए. 3-69-2007-1-पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए. 3-69-2007-1-पांच (36); दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

No. F A-3-69-07-1-V (36).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following further amendment in Schedule II of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In Schedule II of the said Act, in part III, in column (3), against serial number 4, for the figure "23", the figure "12.5" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from the date of issue.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.